



26850 - रमजान शुरू होने से एक या दो दिन पहले रोज़ा रखने से निषेध

प्रश्न

मैंने सुना है कि हमारे लिए रमजान से पहले रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। तो क्या यह बात सही है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ऐसी हदीसें वर्णित हैं जो शाबान के महीने के दूसरे अर्द्ध में रोज़ा रखने से रोकती हैं, सिवाय दो स्थितियों के:

पहली स्थिति: जिस व्यक्ति की रोज़ा रखने की आदत है, जिसकी रोज़ा रखने की आदत है उसका उदाहरण यह है कि: आदमी की – उदाहरण के तौर पर - सोमवार और जुमेरात के दिन रोज़ा रखने की आदत हो, तो वह उन दोनों दिनों का रोज़ा रखेगा भले ही वह शाबान के दूसरे अर्द्ध में हो।

दूसरी स्थिति:

जब वह शाबान के दूसरे अर्द्ध को पहले अर्द्ध से मिलाए।

इस प्रकार कि वह शाबान के पहले अर्द्ध में रोज़ा रखना आरंभ करे और रोज़ा रखना जारी रखे यहाँ तक कि रमजान प्रवेश कर जाए। तो यह जायज़ है। प्रश्न संख्या (13726) देखें।

इन हदीसों में से कुछ निम्नलिखित हैं

बुखारी (हदीस संख्या : 1914) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 1082) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "रमजान से एक या दो दिन पहले रोज़ा न रखो, सिवाय उस व्यक्ति के जो - इन दिनों में - कोई रोज़ा रखता था तो उसे चाहिए कि वह रोज़ा रखे।"

तथा अबू दाऊद (हदीस संख्या : 3237), तिर्मिज़ी (हदीस संख्या : 738) और इब्ने माजा (हदीस संख्या : 1651) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जब आधा शाबान हो जाए तो रोज़ा न रखो।" इसे अल्बानी ने सहीह तिर्मिज़ी (हदीस संख्या : 590) में सहीह कहा है।

अल्लामा नववी ने कहा :

नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन कि: "रमज़ान शुरू होने से एक या दो दिन पहले रोज़ा न रखो, सिवाय उस व्यक्ति के जो - इन दिनों में - कोई रोज़ा रखता था तो उसे चाहिए कि वह रोज़ा रखे।, में स्पष्ट रूप से रमज़ान शुरू होने से पहले एक या दो दिन रोज़ा रखकर रमज़ान का स्वागत करने से उस व्यक्ति के लिए निषेध है, जिसकी रोज़ा रखने की कोई नियमित आदत नहीं है या वह उसे उसके पहले के अर्द्ध भाग (के रोज़े) से मिला नहीं रहा है। यदि वह उसे मिला नहीं रहा है और वह उसकी किसी नियमित आदत के अनुकूल नहीं है, तो यह हaram है।" नववी की बात समाप्त हुई।

तिर्मिज़ी (हदीस संख्या : 686) और नसाई (हदीस संख्या : 2188) ने अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने फरमाया: "जिस किसी ने उस दिन रोज़ा रखा जिस (के रमज़ान का दिन होने) में लोगों को संदेह होता है, तो उसने अबुल-कासिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अवज्ञा की।" तथा प्रश्न संख्या (13711) देखें।

हाफिज़ इब्ने हजर ने फत्हुल-बारी में फरमाया :

इस हदीस से शक के दिन रोज़ा रखने के हaram होने पर दलील पकड़ी गई है, क्योंकि सहाबी निजी राय के आधार पर इस तरह की बात नहीं कहेगा।" अंत हुआ।

शक के दिन से अभिप्राय शाबान का तीसवाँ दिन है अगर बादलों आदि के कारण चाँद न दिखाई दे। और उसे शक का दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हो सकता है कि वह शाबान का तीसवाँ दिन हो, और यह भी हो सकता है कि वह रमज़ान का पहला दिन हो।

अतः इस दिन रोज़ा रखना हaram है, सिवाय उस व्यक्ति के लिए जिसकी उस दिन रोज़ा रखने की आदत है।

अल्लामा नववी रहिमहुल्लाह ने अल-मज्मू (6/400) में शक (संदेह) के दिन के रोज़े के हुक्म के बारे में फरमाया :

यदि कोई व्यक्ति इस दिन स्वैच्छिक (नफल के तौर पर) रोज़ा रखता है, तो यदि उसके पास ऐसा करने का कोई कारण है, जैसे कि उसकी आदत है कि वह हर दिन रोज़ा रखता है, या एक दिन रोज़ा रखता है और एक दिन रोज़ा नहीं रखता है (अर्थात् एक दिन छोड़कर रोज़ा रखता है), या किसी विशिष्ट दिन जैसे सोमवार को रोज़ा रखता है, और संयोग से वह रोज़ा इसी दिन पड़ जाता है, तो उसके लिए इस दिन रोज़ा रखना जायज़ है ; इस बारे में हमारे साथियों (शाफेइय्या) के बीच कोई मतभेद नहीं है ... और इसका प्रमाण अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है : "रमज़ान शुरू होने से एक या दो दिन पहले रोज़ा न रखो, सिवाय उस व्यक्ति के जो - इन दिनों में - कोई रोज़ा रखता था तो उसे चाहिए कि वह रोज़ा रखे।" और यदि उसके पास रोज़ा रखने का कोई कारण नहीं है, तो उस दिन का रोज़ा रखना हaram है।" संशोधन के साथ समाप्त हुआ।



शैख इब्ने उसैमीन ने हदीस: "रमज़ान शुरू होने से एक या दो दिन पहले रोज़ा न रखो..." की व्याख्या करते हुए फरमाया:

विद्वानों ने (अल्लाह उनपर दया करे) इस निषेध के विषय में मतभेद किया है कि क्या यह निषेध हराम घोषित करने के लिए है, या इसका मतलब मक़ूह (अनेच्छक) बताने के लिए है? सही दृष्टिकोण यह है कि इस निषेध का मतलब हराम (वर्जित) ठहराने के लिए है, विशेष रूप से उस दिन जिसके बारे में संदेह व शक हो।" अंत हुआ।

शर्ह रियाज़ुस सालिहीन (3/394)।

इसके आधार पर, शाबान के दूसरे अर्द्ध में रोज़ा रखने की दो श्रेणियाँ हैं :

प्रथम: शाबान के सोलहवें दिन से अट्ठाईसवें दिन तक रोज़ा रखना। यह मक़ूह है, सिवाय उसके व्यक्ति के जिसकी उन दिनों में रोज़ा रखने की आदत है।

दूसरा: शंका के दिन, या रमज़ान शुरू होने से एक या दो दिन पहले का रोज़ा। यह हराम है, सिवाय उसके व्यक्ति के जिसकी उस दिन रोज़ा रखने की आदत है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक जानता है।